भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/02/81/2018/एफ.सी./2138 दिनॉकः 16/01/2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड,
देहरादून।

विषयः जनपद– नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैंच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यो के निर्माण हेतु 0.735 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक– 1651/FP/UK/IRRIG/19615/2015 दिनांक 18.12.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राज्य सरकार द्वारा Online Proposal No. FP/UK/IRRIG/19615/2015 पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–27.08.2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना आख्या वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद– **नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैंच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यो के निर्माण हेतु 0.735 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नही जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 735 वृक्षों का वृक्षारोपण एव 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेग जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
4. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेब कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिर रसोंई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

7. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नही किया जायेगा। ।

8. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस--पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव--जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

9. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

10. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

11. भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Lay out Plan नहीं बदला जायेगा।

12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा।

13. ऐसी कोई अन्य शर्त जो भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं वन्य जीवों आदि के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

इस स्वीकृति में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा सन्तोषजनक अनुपालन नही होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

(डॉ0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

/

(डॉ0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)